न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला–(डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील कुमार -I, (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 62/2025 (GCMS 2025/125)

प्रार्थीगण

प्रार्थी :–

1. तेजाराम पुत्र चन्द्राराम
2. रतनाराम पुत्र चन्द्राराम
3. सोहनलाल पुत्र चन्द्राराम
4. हरेन्द्र पुत्र उगमाराम
5. हीराराम पुत्र उगमाराम जाति समस्त जाट निवासी रावां तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भैरूराम दत्तक पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी रावां तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामन सिटी

प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 251 ए के तहत अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खेलने के लिये आवेदन पत्र

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक :– 23/04/2025

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसील कुचामन सिटी के राजस्व ग्राम रावां के खसरा नम्बर 501 रकबा 4.59 हैक्टयर में आवेदक (अप्रार्थीगण) काबिज खातेदार काश्तकार है। आवेदक (प्रार्थीगण) को अपनी खातेदारीशुदा भूमि ग्राम रावां के खसरा नम्बर 501 में आने–जाने के लिए रास्ता ग्राम रावां के ही खेत खसरा नम्बर 478 रकबा 2.45 हैक्टयर की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे व ग्राम रावां के खेत खसरा नम्बर 477 रकबा 1.76 हैक्टयर की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 7.62 मीटर चौड़ाई में ग्राम रावां के खेत खसरा नम्बर 501 की पश्चिमी सींव में आने–जाने के लिए एवं कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर एवं मवेशियान आदि को लाने ले जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मार्ग की अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे है। चाहे गये मार्ग का नजरी नक्शा जो परिशिष्ट 'क' है। जिसमें प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क A B C D से दर्शित किया गया है जिसको इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

नजरी नक्शा

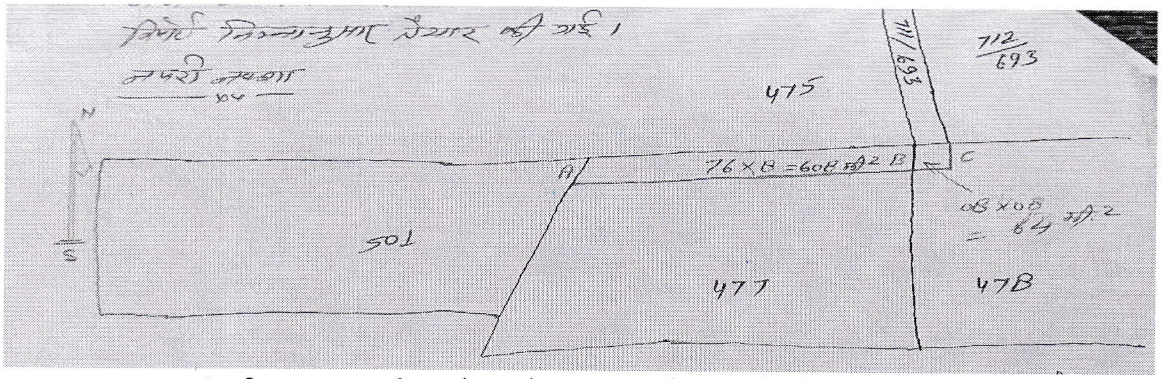

ग्राम रावां की राजस्व सीमा में आवेदक (प्रार्थीगण) के खेत खसरा नम्बर 501 आया हुआ है। इस खेत में आने–जाने के लिए ग्राम रावां के खसरा नम्बर 477 व 478 में से आवेदक (प्रार्थीगण) के खेत खसरा नम्बर 501 में आने–जाने एवं मवेशियान व कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है व परस्पर सहमति से ग्राम रावां के खसरा नम्बर 477 व 478 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 रास्ता देने को तैयार नहीं है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 501 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ग्राम रावां के खसरा नम्बर 477 व 478 की उतरी सींव के सहारे–सहारे पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ मौक पर प्रार्थीगण द्वार मांगा गया रास्ता चालू है तथा आवारा पशुओं के फसल की रक्षा हेतु इस रास्ते पर प्रार्थी द्वारा पट्टिया आदि रोपकर तारबंदी की हुई है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 501 में आवागमन हेतु सबसे नजदीक यही रास्ता पड़ता है। आवेदक (प्रार्थीगण) को इस रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है जिससे की आवेदक (प्रार्थीगण) अपने खेत में सुचारू रूप से कृषि कार्य कर सके। आवेदक (प्रार्थीगण) ने अपने आवेदन के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट ''क'' पेश किया है जो आवेदन पत्र का भाग समझाउ जावे। इस नजरी नक्शे में मार्क A B C D रास्ता बताया गया है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरवाया जाकर चिरकाल से चालू मार्ग (रास्ता) ग्राम रावां के खसरा नम्बर 477 व 478 में से परिशिष्ट ''क'' में मार्क A B C D से दर्शाया गया है को मार्ग (रास्ता) के रूप में उपलब्ध करवाया जाकर इस रास्ते के क्षेत्रफल की भूमि पर खसरा नम्बर 477 व 478 के खातेदार की खातेदारी निर्वसित घोषित कर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावे। आवेदक (प्रार्थीगण) माननीय न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित मुआवजा राशि खसरा नम्बर 477 व 478 के खातेदार (अप्रार्थी सख्या 1) को अदा करने के लिए तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रेषित कर उनसे मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में उन्होंने अपने पत्रांक/राजस्व /2025/08

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

दिनांक 02.04.2025 को मौका रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 01.04.2025 को तैयार कर प्रस्तुत की। जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में राजीनामा निम्नवत् प्रस्तुत किया है :–

राजीनामा :–

उपर्युक्त अनुवान प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। प्रार्थी को खसरा संख्या 478, 477 में से प्रार्थना पत्र में दर्शित मार्क A B C D रास्ता दिया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 ने खसरा नम्बर 477, 478 की रास्ते में जाने वाली भूमि का मुआजवा प्रार्थीगण से प्राप्त कर लिया है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र माफिक अनुतोष स्वीकार किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि ग्राम रावां के खसरा नम्बर 501 में आने जाने हेतु ग्राम रावां के खसरा नम्बर 478 रकबा 2.45 हैक्टयर की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे व ग्राम रावां के खेत खसरा नम्बर 477 रकबा 1.76 हैक्टयर की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे पूरब से पश्चिम दिशा की ओर 7.62 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा गया है।

प्रार्थी व अप्राथीगण द्वारा भी राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र अनुसार ही रास्ता कायम करवाने के लिए सहमत है। प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि प्रार्थी से प्राप्त कर लेने का कथन किया है। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि तहसीलदार कुचामनसिटी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2025 अनुसार ग्राम रावां तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 501 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए फर्द मौका दिनॉक 01.04.2025 में **A, B, C** अनुसार ग्राम रावां तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 477 में से 76 मीटर लम्बाई X 8 मीटर चौड़ाई = 608 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 478 में से 08 मीटर लम्बाई X 8 मीटर चौड़ाई = 64 वर्गमीटर कुल रकबा 672 वर्गमीटर अर्थात् 0.672 हैक्टर प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है। प्रार्थी नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू **A, B, C** अनुसार रास्ता कायम करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्नानुसार आदेश दिये जाते है :–

–: आदेश :–

ग्राम रावां तहसील कुचामनसिटी खसरा नम्बर खसरा 501 में आमद रफत एवं आने जाने व मवेशी, गाड़ी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिए फर्द मौका दिनॉक 01.04.2025 में **A, B, C** अनुसार ग्राम रावां तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 477 में से 76 मीटर लम्बाई X 8 मीटर चौड़ाई = 608 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 478 में से 8 मीटर लम्बाई X 8 मीटर चौड़ाई = 64 वर्गमीटर कुल रकबा 672 वर्गमीटर अर्थात् 0.672 हैक्टर राजकीय कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही मुआवजा राशि लेने का कथन किया है। इसलिए मुआवजा राशि अब प्राप्त नहीं की जानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:32:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

है। तहसीलदार कुचामन सिटी को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता अमलदरामद कर नक्शे में तरमीम करें। फर्द मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा व प्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न रहेगा। तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 23/04/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्री सुनील कुमार -I, (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:52:20 IST
Reason: SelfAttested